अजायब सिंह बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 194/2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आरएएस

उनवान :- प्रार्थना पत्र संख्या- 194/2024

1. अजायब सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. करतार कौर पत्नी श्री हाकम सिंह, जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री कलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. जसविन्द्र सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगनर
6. नायब सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. मनजीत कौर पत्नी कलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. हरगोविन्द सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

---प्रार्थीगण

--:: बनाम ::--

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

-- :: आदेश ::--

दिनांक :--28.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पास संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक 10 क्यू, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र दौलतपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 5, 17, 27, 36 में कुल 7.1880 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2072-2075 दर्ज है, जिसके प्रार्थीगण मालिक काबिज है। नकल जमाबंदी संलग्न आवेदन पत्र है। प्रार्थीगण का रजिस्टर्ड पता सिविल प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार वही है, जो आवेदन के शीर्षक में अंकित है। आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत है तथा आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न है । उक्त जमाबंदी सम्वत 2072 - 2075 के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नं0 5 में 0.253

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर नहरी है एवं किला नं0 6/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी है एवं किला नं0 6/2 में 0.126 हैक0 नहरी है, जो कि पूर्व की जमाबंदी वर्ष 2025 में दर्ज है, परन्तु इसके पश्चात् की जमाबंदी वर्ष 2039 एवं वर्ष 2060 एवं वर्ष 2072–2027 में लिपकीय भूलवंश किला नं0 5/1 में 0. 127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 5/2 में 0.126 हैक0 नहरी दर्ज हो गया है, जो कि गलत दर्ज हो गया है। नकल जमाबंदी वर्ष 2025, जमाबंदी वर्ष 2039 एवं वर्ष 2060 संलग्न है । राजस्व रिकार्ड में मु0नं0 5 के किला नं0 5/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 5/2 में 0.126 हैक0 नहरी दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मौका एवं अन्य दस्तावेजों में किला नं0 6/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 6/2 में 0.126 हैक0 नहरी होने के कारण प्रार्थीगण को सरकारी एवं गैर–सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है क्योंकि राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो में नाम का मिलान नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को क्षति कारित हो रही है। इस पर प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने हेतु एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया गया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को यह कहा कि उक्त संशोधन न्यायालय के आदेशों से किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त आवेदन–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रश्नगत भूमि चक 10 क्यू तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है एवं अप्रार्थी का कार्यालय भी श्रीगंगानगर में स्थित है। इसकारण आवेदन–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं प्रस्तुत किया श्रवणाधिकार का होने के कारण माननीय न्यायालय में जा रहा है, जो कि उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुये आवेदन पत्र प्रार्थीगण बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

1. कि डिक्री संशोधन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 – 2075 के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 5 में दर्ज "किला नं० 5/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 5/2 में 0.126 हैक नहरी एवं किला नं0 6 के 0.253 हैक्टेयर" के स्थान पर "किला नं0 5 में 0.253 हैक्टेयर नहरी है एवं किला नं0 6/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 6/2 में 0.126 हैक0 नहरी" दर्ज किया जावे।
2. कि खर्चा मुकदमा अप्रार्थी से दिलाया जावें ।
3. कि अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो प्रदान किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट में दुरूस्ती किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र का निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 चक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

10 क्यू. पटवार हल्का संगतपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 5 में दर्ज (किला नं० 5/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी व किला नम्बर 6(0.253 नहरी) के स्थान पर "किला नं0 5/1 में 0.127 हैक्टेयर नहरी एवं किला नं0 6/1 में 0.127 हैक्टेयर बारानी एवं किला नं0 6/2 में 0.126 हैक्0 नहरी" दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने बावत प्रेपित हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner